

## सेंटर फॉर प्रोसेसगि एक्सेलेरेटेड कॉरपोरेट एग्जटि (C-PACE)

## सरोत: बज़िनेस सटैंडरड

सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलेरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट (C-PACE) ने कंपनी बंद करने की प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक 70-90 दिनों तक सुव्यवस्थित कर दिया है।

- इसका उद्देश्य **छह महीने** के भीतर कंपनियों को **स्वैच्छिक रूप से बंद करने** की पुरक्रिया में तेजी लाना है।
  - 5 अगस्त 2024 से, C-PACE को सीमिति देयता भागीदारी (LLP) को समाप्त करने से संबंधित ई-फॉर्म के प्रसंस्करण का अधिकार भी दिया गया है।
- C-PACE को कंपनी बंद करने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत और सुव्यवस्थित करने के लिये कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) द्वारा लॉन्च किया गया था।
  - ॰ यह **कंपनी रजिस्ट्रार (RoC)** के अधीन कार्य करता है, जो MCA के अंतरगत <mark>एक</mark> कार्यालय है।
- यह हितधारकों के साथ **भौतिक संपर्क** की आवश्यकता को समापत करके 'वयापार करने में आसानी' को सुगम बनाता है।
- कंपनी अधनियम, 2013 की धारा 248, कंपनी रजिसटरार को किसी कंपनी का नाम कंपनी रजिसटर से हटाने का अधिकार देती है।
  - ॰ <u>IBC</u> की धारा 59 के अंतर्गत **स्वैच्छिक परसिमापन** अब अधिक सुव्यव<mark>स्थित</mark> है, क्<mark>योंक</mark> इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिये <u>NCLT</u> के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
- अमेरिका में कंपनियों को स्वैच्छिकि रूप से बंद करने में 90 से 180 दिन का समय लगता है, जबकि जर्मनी में इसमें एक वर्ष से अधिक का समय लगता है।

और पढ़ें: कॉरपोरेट गवरनेंस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/centre-for-processing-accelerated-corporate-exit-c-pace-